

वदियुत व्यापार को बढ़ावा देने के लिये मानदंडों में संशोधन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय वदियुत नयामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission-CERC) ने पड़ोसी देशों को भारत के बाज़ारों से अधिक बजिली खरीदने हेतु परोत्साहित करने के लिये नयिमों में संशोधन किया है।

परमुख बदि

- वदियुत मंत्रालय ने पछिले साल दसिंबर में बजिली के सीमा पार व्यापार के लिये नए दशा-नरिदेश जारी करने के बाद नयिमों को संशोधित किया है।
- CERC ने कुछ प्रतबिधात्मक नयिमों को हटा दिया था और बाज़ारों में बजिली व्यापार को अधिक आकर्षक बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था।
- वदिशी संस्थानों को केवल भारतीय पावर ट्रेडिंग संस्थाओं के माध्यम से पावर एक्सचेंज में भाग लेने की आवश्यकता होगी।
- वतित वर्ष 2017-18 में नेपाल, बांग्लादेश और म्याँमार को 7.2 बलियिन यूनिट्स (BU) की आपूर्ति की गई और वतित वर्ष 2018-19 के पहले दस महीनों में इन देशों को 6.4 बलियिन यूनिट्स का नरियात किया गया है।
- बजिली क्षेत्र के विशेषज्ञों के प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक, बजिली एक्सचेंजों पर सीमापार व्यापार आगे बढ़ने से वार्षिक रूप से बजिली की 5-6 बलियिन अतिरिक्त यूनिट्स का वदियुत बाज़ार का लाभ मलि सकता है।
- बांग्लादेश भारतीय वदियुत का सबसे बड़ा खरीदार है।
- उक्त तीनों पड़ोसी देशों के अलावा भारत म्दुरै से श्रीलंका में न्यू हैबराना तक संपर्क स्थापति करने की संभावनाएँ तलाश रहा है।
- नवंबर 2014 में भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के अन्य देशों के साथ स्वैच्छिक आधार पर संबंधित सदस्य देशों के कानूनों, नयिमों और वनियिमों के अधीन सीमा पार से वदियुत व्यापार को सक्रम बनाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- बाद में अगस्त 2018 में भारत ने बंगाल की खाड़ी के सदस्य देशों के बीच बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (BIMSTEC) हेतु ग्रडि इंटर-कनेक्शन की स्थापना के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- बमिस्टेक के सदस्य देशों में भारत, बांग्लादेश, म्याँमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और थाईलैंड शामिल हैं।

स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस